## महत्वपूर्ण एवं खास

### राज्यपाल 'ई-रूपी' के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई

**रायपुर (आरएनएस)।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम 'ई-रूपी' का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से शामिल हुई। इसमें केन्द्रीय मंत्रीगण एवं अन्य राज्यों के राज्यपाल उपस्थित थे।

### कार की ठोकर से बाइक सवार घायल

**महासमुंद (आरएनएस)।** कार की ठोकर से बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। घायलों का प्राथमिक इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा एनएच- 53 पदमपुर रोड के पास हुआ है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। थाना से मिली जानकारी के अनुसार ग्रम भूथिया निवासी अमृत नंद अपने मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 04 डीजे 3832 से अपने साथ मोहन निषाद के साथ रविवार सुबह 9 बजे ग्राम अर्जुण्डा की ओर जा रहा था। पदमपुर रोड ओव्हरब्रिज के आगे पहुंचा था कि अर्जुण्डा की ओर से आ रही मारूति वेन क्रमांक सीजी 04 एचबी 4965 के चालक रूद्रमणी मेहेर ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर अमृत नंद की बाइक को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। इससे अमृत नंद व मोहन निषाद को गंभीर चोट आई है। सरायपाली सीएचसी में इलाज के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है।

### सड़क हादसे में 8 यात्री घायल

**महासमुंद (आरएनएस)।** राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 53 ग्राम घोड़ारी के पास सड़क किनारे खड़े हाइवा के कारण शुक्रवार रात साढ़े आठ बजे फिर एक हादसा हुआ। रात में दिखाई नहीं देने के कारण सरायपाली से रायपुर की ओर जा रही बस क्रमांक सीजी 07 0967 के चालक ने सड़क किनोर खड़े हाइवा क्रमांक सीजी 07 बीआर 2523 को ठोकर मार दिया और आगे जाकर बस डिवाइडर पार करते हुए दूसरे लाइन पर चली गई। इधर रायपुर रोड की ओर से आ रहे ट्रेलर क्रमांक आरजे 47 जीए 3114 के चालक बस को देखकर हड़बड़ा गए और बस को ठोकर मार दिया। इस हादसे में बस के अंदर सवार 8 यात्री घायल हो गए।

### पेट्रोलपंप कर्मचारी से 39 हजार की लूट,जांच में जुटी पुलिस

**रायपुर (आरएनएस)।** राजधानी में दिनदहाड़े लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। अज्ञात बाइक सवारों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को लूट का शिकार बनाया है। घटना पंडरी थाना क्षेत्र की है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहूंच गए हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर के मोवा अंडरब्रिज के नीचे स्थित साई बाबा पेट्रोल पंप पर पंप कर्मचारी से 39 हजार रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल भरवाने आये दो अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने आयल डलवाने के बहाने पंप कर्मचारी पाउच काटने झुकने पर जेब मे रखे 39 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस जांच में जुटी है।

### सुने मकान से चोरों ने किया 2 लाख का सामान पार

**कोरबा (आरएनएस)।** रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक मामला सुलझा नहीं की दूसरी चुनौती पेश हो जाती है। यहां के आरामशीन क्षेत्र में एक सुने मकान से चोरों ने लगभग 2 लाख का सामान पार कर दिया। जबकि 75 हजार की चोरी के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सके है। जानकारी के अनुसार सीएसईबी कालोनी से बुधवारी बस्ती की तरफ जाने वाले आरामशीन इलाके में चोरों ने मौशिन अली के घर को निशाना बनाया। कुछ दिन पहले वह घरेलू काम से परिवार के साथ बिलासपुर गया हुआ था। उसके बाद कटघोरा आकर रूक गया। यहां उसका मकान सूना था और नजर रखने के लिए किसी को नहीं कहा गया था।

# पत्नी मानने से इनकार करने पर बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने के निर्देश दिए

» आयोग के समक्ष दुधमुंहे बच्चे को नहीं लाने पर हुई एफआईआर दर्ज

» आयोग के समक्ष झूठा न्यायालय आदेश दिखा आयोग को गुमराह करने पर होगी एफआई आर

**रायगढ़ ।** छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने शास्त्री चौक, रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों पर आज जनसुनवाई आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने नवनियुक्त सदस्यगण सुश्री शशिकांता राठौर, श्रीमती नीता विश्वकर्मा, श्रीमती अर्चना उपाध्याय के साथ की।

आज हुई सुनवाई के एक प्रकरण में उपस्थित अनावेदक गणों ने बताया कि थाना पटेवा, जिला महासमुंद में अनावेदिका महिला ने आवेदिका महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है जबकि आवेदिका ने एफआईआर दर्ज होने के बाद आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया। इसी तरह एक अन्य प्रकरण में एफआईआर दर्ज होने की सूचना आयोग को दिया गया, जिसमें आवेदिका और उसके पति के खिलाफ धारा 294, 306 का अपराध दर्ज किया गया है। उसके बाद आवेदिका ने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। साथ ही आवेदिका ने निवेदन किया कि इन अनावेदकगणों के खिलाफ उनकी ओर से किसी भी प्रकार से एफआईआर दर्ज नही किया जा रहा है और किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं हो पा रही है। आयोग द्वारा समझाइश दिया गया कि भविष्य में इन अनावेदकगणों के द्वारा यदि कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है और थाना में आवेदन करने पर भी एफ आई आर दर्ज नही करते हैं, तब ऐसी दशा में आयोग के समक्ष थाना प्रभारी और अनावेदकगणों को पक्षकार बनाते हुए आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका और एक अनावेदक उपस्थित शेष अनावेदक की उपस्थिति के लिए थाना प्रभारी, खरोरा को अलग से सूचना भेजने के निर्देश दिए गए। पुलिस अनावेदक की तफ्तीश कर जैसे ही मिले उसे आयोग के समक्ष उपस्थित करने निर्देशित किया गया है, ताकि आवेदिका और उसके पति को नौ लाख रुपये की प्रक्रिया का समाधान किया जा सके। थाना प्रभारी खरोरा को 15 दिवस के भीतर अपना रिपोर्ट भेजने कहा गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक द्वारा घर से बेघर किये जाने की बात कही है। वह पिछले कई दिनों से भटक रही है और उनके स्वयं के मकान में ताला लगा है। इस पर अनावेदक ने बताया कि उसने मकान का ताला बंद करके चाबी दे दिया है और किसी भी तरह से कब्जा नही किया है। अनावेदक को समझाइश दिया गया कि वह आवेदिका और उसके अन्य सन्तानों के आस पास पहुँचकर उन्हें परेशान न करे। आवेदिका पुलिस थाने में और आयोग के समक्ष भी शिकायत कर सकेगी। चूंकि अभी आवेदिका को मकान का कब्जा मिल जाने के बाद प्रकरण को निराकृत किया जाएगा। आवेदिका पहले अपने घर का कब्जा ताला तोड़कर ले। आयोग की इसकी सूचना देने कहा गया आगामी सुनवाई में थाने के माध्यम से आवश्यक रूप से उपस्थित कराने कहा गया, जिससे ऐसी घटना पर कार्यवाही किया जा सके।

इसी तरह एक प्रकरण में अनावेदक ने बताया कि बी.ई.एम.बी.ए. तक शिक्षित है और कोरबा में सीएसईबी में बाबू के पद पर कार्यरत हैं। उसका मासिक वेतन 30,000 रुपये है। साथ ही उन्होंने बताया कि उसके और पत्नी का मामला न्यायालय में लंबित है। न्यायालय के आदेश से 6,500 भरण पोषण राशि देने का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय में भरण पोषण देने का स्टे लगा है कहकर अनावेदक ने जो कागज दिखाया उसमे स्थगन आदेश को कोई उल्लेख नही है तथा कभी भी उच्चतम न्यायालय भरण पोषण राशि हेतु स्थगन आदेश नही देता है। इस स्तर पर अनावेदक से उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति मांगी गयी जिसमे स्टे दिए जाने का कोई उल्लेख नही है इससे स्पष्ट है कि अनावेदक आवेदिका को भरण पोषण देने से बचने की कोशिश कर रहा है। आयोग के समक्ष भी झूठा वक्तव्य दे रहा है।

## मुठभेड़ के बाद ईनामी नक्सली मिलिशया कमांडर गिरफ्तार

» 1 नग टिफिन बम, 4 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, लगभग 100 मीटर इलेक्ट्रिक वायर बरामद

**सुकमा (आरएनएस)।** जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना गादीरास से जिला बल एवं डीआरजी के जवान नक्सलियों की धरपकड़ के लिए ग्राम पोरदेम, मनकापाल की ओर रवाना हुए थे, अभियान के दौरान जवान पोरदेम-रूबीमेंटा के मध्य जंगल पहाड़ी में घात लगाकर बैठे नक्सलियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जवाबी कार्यवाही में नक्सली अपने को कमजोर पड़ता देखकर भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के के बाद सर्चिंग के दौरान एक लाख का ईनामी 01 नक्सली मिलिशया कमांडर मड़कम नंदा उर्फ नरेन्द्र उर्फ गोंचे पिता नंदा उम्र 25 वर्ष साकिन मनकापाल थाना गादीरास को गिरफ्तार कर आज विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया। नक्सली मड़कम नंदा के निशानदेही पर 01नग टिफिन बम, 04 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, लगभग 100 मीटर इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया गया। थाना गादीरास में अप.क्र. 15/2021 धारा 147, 148, 149, 307, 120 (बी) भारतीय दण्ड विधान, 25, 27 आर्म्स एक्ट, 4, 5 विस्फोट पदार्थ अधिनियम, 38, 39, (1)(2) विधि विरूद्ध क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

## स्कूल खुलने के पहले दिन ही डीपीआई के उपसंचालक ने किया स्कूलों का निरीक्षण

**रायगढ़ ।** पूरे प्रदेश सहित जिले में एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 2 अगस्त सोमवार को स्कूलों के पट खुले और मन में उत्साह लिए, चेहरे पर मास्क पहने बच्चे विद्यालय पहुंचे। स्कूल खोलने के बाद स्कूलों की विभिन्न व्यवस्थाओं की निरीक्षण हेतु राज्य से एक-एक सदस्य को नियुक्त किया गया था, इनमें से उप संचालक डीपीआई एस.के.गिरी ने जिले के रायगढ़, पुसौर, बरमकेला एवं सारंगढ़ के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। जिले के अन्य स्कूलों के तरह ही रायगढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला

कोरियादादर में भी बच्चों में स्कूल जाने का उत्साह देखने को मिला। पालकों ने अपने-अपने बच्चों को संक्रमण से बचने और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर स्कूल भेजा। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी बच्चों की कोरोना संक्रमण से बचाव व सुरक्षा के सारे उपाय प्रबंध किए हुए थे।

मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था के साथ बच्चों के आगमन पर उनके माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उपसंचालक एस.के.गिरी अपनी टीम के साथ प्राथमिक शाला कोरियादादर पहुंचे। उनके पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा सरस्वती माता की तस्वीर पर माल्यार्पण व पूजा-अर्चना कर प्रवेश उत्सव मनाया गया। गणवेश व पाठ्य पुस्तक का वितरण किया गया। संस्था में निरीक्षण के दौरान मध्यान्ह भोजन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया।

## कलेक्टर भीम सिंह ने जल जीवन मिशन की ली समीक्षा बैठक

» सभी स्वीकृत कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश

**रायगढ़ ।** कलेक्टर भीम सिंह ने आज जिला जल स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत किये जा रहे कार्यो की विस्तार से समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारी को जल जीवन योजना के तहत स्वीकृत कार्य को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को योजना का लाभ जल्द मिल सके।

कलेक्टर सिंह ने जल्द से जल्द सभी कार्यं के टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल

जीवन मिशन अंतर्गत निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्राईवेट एजेंसी द्वारा जारी मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा की। साथ ही रेट्रोफिटिंग योजना, सिंगल विलेज योजना, उचित दर पर प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति एवं कार्यादेश की अनुमति, समूह जल प्रदाय योजनाओं में जारी कार्यादेश का अनुमोदन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों में रनिंग वाटर कार्य पूर्ण कराने तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न मुद्दों में भुगतान के अनुमोदन के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

ईई पीएचई संजय सिंह ने बताया कि रेट्रोफिटिंग योजना के 204, सिंगल विलेज योजना के 77, सोलर योजना के 270 सहित कुल 551 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 409 योजनाओं की निविदायें जारी की जा चुकी है। जिसमें से 197 योजनाओं में कार्यादेश जारी किया गया है तथा 107 कार्य प्रारंभ कर दिये गये है। 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से शासकीय संस्थान जैसे-आंगनबाड़ी, शाला, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन आदि में नल के माध्यम रनिंग वाटर की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है। अद्यतन में रनिंग वाटर, पेयजल व्यवस्था के कुल 7162 कार्यों में से 703 कार्य पूर्व से पूर्ण थे। 15 वें वित्त आयोग से रनिंग वाटर पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत 2552 कार्य पूर्ण, 1694 कार्य प्रगतिरत एवं 2213 कार्य शेष है। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, क्रेडा सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

## प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं

» अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल भारी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्थानीय मौसम विभाग कार्यालय से आज मिली जानकारी के अनुसार एक चिन्हित निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम उत्तरप्रदेश और उससे लगे उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर स्थित है इसके साथ चक्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसके पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून द्रोणिका, फिरोजपुर, संगरूर, देल्ही, सीधी, गया, मंडला और उसके बाद उत्तर बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा तक स्थित है। इसके कारण 03 अगस्त को प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में कल भी मामूली वृद्धि संभावित है। 4, 5 और 6 अगस्त को बस्तर संभाग और उससे लगे हुए दुर्ग तथा रायपुर संभाग के जिलों में वर्षा की मात्रा और क्षेत्र बढ़ने की संभावना बन रही है।

## छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें 6 फीसदी बढ़ी

» छग विद्युत नियामक आयोग ने की घोषणा, 1 अगस्त से लागू होंगी नई दरें

**रायपुर (आरएनएस)।** कोरोना काल में प्रदेश के लोगों को बिजली की बढ़ी दरों के रूप में एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने आज बिजली की औसत दरों में 06 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। जो लोगों के बजट पर भारी पड़ेगी। ये नई दरें 01 अगस्त से लागू हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने बिजली की नई दरों को लेकर आज आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयोग ने औसत दर 6. 41 निर्धारित की है, पिछले साल ये दर 5. 93 प्रति यूनिट थी, जो पिछले साल की तुलना में 48 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा है। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के लिए पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 100 वॉट तक लाइट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी है, वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार वर्तमान में प्रभावशील 10 प्रतिशत की छूट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

श्री वर्मा ने कहा कि पिछले तीन सालों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 2018-19 में राजस्व प्राप्ति अनुमान से अधिक था इसलिये वृद्धि नहीं हुई थी। इसके बाद राजस्व प्राप्ति में कमी आई थी। पिछले साल कमी की भरपाई के लिए औसत तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं की जा सकी थी। उन्होंने कहा कि देश में अब महामारी सामान्य हो रही है सभी वर्गो में थोड़ी वृद्धि की गई है, जिसका औसत छह फीसदी है।

उन्होंने कहा कि घरेलू दरों में मामूली वृद्धि के साथ टैरिफ का पुनर्सरचना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों को भी घरेलू दरों की सीमा में रखा गया है। पांच हज़ार से अधिक बिल का भुगतान ऑनलाइन किए जाने पर छूट दिया जाएगा। इससे अधिक बिल आने पर भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता** — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां** — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु** — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें** — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

## कोरोना काल में बैंक सखियों ने किया 34 करोड़ से अधिक का लेनदेन

» 'बिहान' से जुड़ी बैंक सखियां ग्रामीण स्तर पर जरूरतमंदों तक पहुंचा रही वित्तीय सहायता

**रायगढ़ ।** कोरोना काल में जब कई प्रकार के प्रतिबंध लागू थे और लोग लॉकडाउन के चलते घरों पर रहने को भी मजबूर थे। ऐसे में बैंक सखियों ने लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। जिले में अप्रैल से जुलाई तक चार महीनों में बैंक सखियों ने 34 करोड़ 67 हजार 248 रुपये का लेनदेन किया है।

जिससे लोगों को घर बैठे उनके पैसे मिले।

जिला रायगढ़ अंतर्गत 'बिहान' से जुड़ी बैंक सखियां लाकडाउन में अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। कोरोनाकाल में आपदा की इस घड़ी में जब लोग अपने घरों से बाहर नही निकल रहे हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में भी बैंक सखियां विभिन्न माध्यमों से गांव के जरूरतमंदों तक घर पहुंच विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस दौरान उन्होंने मनरेगा साईट पर भुगतान, पेंशन भुगतान, प्रधानमंत्री जनधन खातों का भुगतान, प्रधानमंत्री किसान निधि, धान बोनस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का भुगतान, राशि अंतरण की सुविधा प्रदान करते हुए लाकडाउन की परिस्थिति में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुये अपने गांवों और नजदीकी क्षेत्रों में बैंक सखियों के द्वारा विभिन्न विकासखंडों में 34 करोड़ 67 हजार 248 रुपये से अधिक का लेनदेन कर लोगों को वित्तीय सहायता पहुंचायी है। जिसमें अप्रैल माह में 3 करोड़ 17 लाख 97 हजार 863, मई में 5 करोड़ 99 लाख 77 हजार 913, जून में 9 करोड़ 33 लाख 7 हजार 239 और जुलाई में सबसे अधिक 10 करोड़ 84 लाख 20 हजार 318 रुपये का लेनदेन बैंक सखियों द्वारा किया गया।

उल्लेखनीय है कि एक बीसी एक जीपी योजनांतर्गत बैंक सखी की स्थापना के लिये बिहान अंतर्गत स्व-सहायता समूह से कम्प्यूटर कौशल में दक्ष बारहवी पास सदस्य का चयन पे पाइंट बीसी सखी एवं कियोस्क बीसी सखी के रूप में किया जाता है। इसके लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार पश्चात निज ग्राम में स्थापना की जाती है। बीसी सखी के चयन पश्चात ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़ द्वारा सात दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदाय किया जाता है। प्रशिक्षण उपरांत सभी का आईआईबीएफ की परीक्षा संपन्न की जाती है तथा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली बीसी सखी को बायोमेट्रिक मशीन/मार्फो डिवाईस प्रदाय किया जाता है।